बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

:: **संकल्प** ::

संकल्प सं0–3/सी0एस0/एम0–703/2011 253/ पटना–15, दिनांक–28/02/2025

विषय :– **बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, के उपयोग हेतु वाहन की सुविधा में संशोधन के संबंध में।**

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–298, दिनांक–27.04.2012 एवं 502, दिनांक–08.03.2007 द्वारा निर्धारण किया गया है।

02. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त है को एक (01) ए0सी0 वाहन (पूर्ववत् प्रति माह 250 लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक) सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में एक (01) ए0सी0 एम्बेसडर कार अथवा पर्यटन विभाग द्वारा एम्बेसडर कार के लिए निर्धारित दर के अन्दर एक (01) ए0सी0 वाहन भाड़े पर उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिए परिचालन की मासिक अधिसीमा 3000 कि0मी0 है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभावों, जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को प्रावधानित एक (01) ए0सी0 वाहन (पूर्ववत् प्रति माह 250 लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक) सम्बन्धित विभाग द्वारा अथवा वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन हेतु परिचालन की मासिक अधिसीमा 3000 कि0मी0 में संशोधन वर्ष 2012 के बाद नहीं किया गया है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में विभागीय संकल्प सं0–298, दिनांक–27.04.2012 की कंडिका 3(च) में प्रावधानित परिचालन की मासिक अधिसीमा में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

03. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या–298, दिनांक–27.04.2012 की कंडिका 3(च) में वर्णित वाहन की सुविधा को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है :–

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को उनके स्थापना विभाग द्वारा उनके उपयोग हेतु एक ए0सी0 वाहन (प्रति माह 350 लीटर अधिकतम ईंधन की सीमा तक) उपलब्ध कराया जायेगा अथवा वाहन की अनुपलब्धता की स्थिति में पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित दर के

अन्दर एक (01) ए0सी0 वाहन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए परिचालन की मासिक अधिसीमा 4000 कि0मी0 होगी।

04. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–298, दिनांक–27.04.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त संकल्प की शेष बातें यथावत रहेंगे।

05. यह संशोधन निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। साथ ही, सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी0एस0/एम0–703/2011 253 / पटना–15, दिनांक–28/02/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी0एस0/एम0–703/2011 253 / पटना–15, दिनांक–28/02/2025

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग/वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के आप्त सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी0एस0/एम0–703/2011 253 / पटना–15, दिनांक–28/02/2025

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–3/सी0एस0/एम0–703/2011 253 / पटना–15, दिनांक–28/02/2025

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

D:\Kamlesh\Sankalp.doc